कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड–चतुर्थ, उझानी, बदायूँ।
/वि०वि०खण्ड–चतुर्थ, उझानी/

पत्रांक–306 दिनांक–20-01-24

विषय– नये विद्युत संयोजन/नाम परिवर्तन/अतिरिक्त भार व भार घटाने के सम्बन्ध में।

श्री Nekram S/o
पुत्र श्री chokhe
Malikpur Bichaula.

मो० 8650496744

आवेदन संख्याः– 1008364608

ग्रुप........ बुक संख्या........ कनेक्शन संख्या........

प्रिय महोदय,

आपको अवगत कराना है कि आपका उपरोक्त विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हो चुका है, अतः आप किसी कार्य दिवस पर रू0 100/– के नॉनज्य्‌डीशियल स्टैम्प सहित B&L फॉर्म अनुबन्ध हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हों। अनुबन्ध उपरान्त 15 दिन के भीतर निम्न धनराशि खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायें।

1–प्रोसेस चार्जेज	00=00
2–मीटर कॉस्ट	4957=00
3–सर्विस कनेक्शन चार्जेज	129982=00
4–जमानत की धनराशि	3000=00
कुल योग→	137939 =00

कृपया आपको सूचित करना है कि आपको उपरोक्त विद्युत कनेक्शन स्वीकृत हो गया है। अतः आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप उपरोक्त रकम इस कार्यालय में 2 बजे से पहले जमा करने से पूर्व रू 100 के नामज्यू डीसियल स्टैम्प पेपर, एक फोटो तथा रसीदी टिकट के साथतथादोग वाहों के साथ इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 3:30 बजे सायं तक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के लिए पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपस्थित हों। यदि दी गई तिथि तक उपरोक्तर कम जमान ही हुई तो कनेक्शन बगैर नोटिस के रद्‌ द समझा जायेगा।

यदि आप उपरोक्त राशि निर्धारित समय सीमा के भी तर जमा नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन बगैर किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।आप स्वीकृत विधा के अतिरिक्त अन्य किसी विधा के लिए विद्युत कनेक्शन नहीं कर सकते हैं और आप ऐसा करते पाए गए तो आप पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

नियम व शर्तें:–

(1) विद्युत उपयोग की दरें, मासिक व वार्षिक न्यूनतम गारन्टी के समय–समय पर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा लागू होगी जो आपको देय होगी।

(2) आपको भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 तथा भारतीय नियमावली 156 एवं विद्युत वितरण कोड – 2005 के प्राविधानों को पूर्णतः पालन करना होगा।

(3) नियम द्वारा समय–समय लागू Condition of Supply का आपको अनुपालन करना होगा।

(3अ) अनुबंध के समय जमीन जायदाद के प्रमाण पत्र खसरा, खतौनी/बयानामा/किरायानामा/अथवा अन्य प्रमाण पत्र जो अदालत द्वारा मान्य हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(4) आपको परिषद के आदेशानुसार नलकूप का सामान आपके वाहन द्वारा ले जाना होगा तथा सब ए लाईन बनने में जो मजदूरी बजरी व सीमेंट की आवश्यकता होगी उसकी भी प्रबंध आपको करना होगा।

Scanned with CamScanner

(5) उपभोक्ता को B&L फार्म जमा करने बाद ही कनेक्शन दिया जाएगा।

(स) निरीक्षक शुल्क :–

(1) मीटर निरीक्षण शुल्क रूपये राज्य कोश में विद्युत निरीक्षण उत्तर प्रदेश शासन के लिये निम्नलिखित ममक में जमा करना होगा।

(2) भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क यदि आप उपरोक्त नियम व शर्तों से सहमत हो तो इस पत्र की तिथि के अन्दर उपरोक्त धनराशि जमा कर दें। तथा आवेदक द्वारा 100/– रूपये के नानज्युडिशियल स्टाम्प पेपर (5 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकापी) व 2 गवाहों (प्रत्येक की 1 पासपोट साइज फोटो एवं आधार कार्ड की फोटोकापी) तथा नलकूप का जायेगा व उसके बाद आपका संस्थापन सही पाये जाने पर कनेक्शन दिया जायेगा।

नोट :

1. इस टी0सी0 के निर्गत होने के दिनांक से 90 दिनइ के अन्दर टी0सी0 का धन जमा करने एवं कराने की बाध्यता है। निर्धारित अवधि के बाद स्वीकृत भार स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. आवेदक के अतिरिक्त जिन अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की भूमि से लाईन गुजरेगी, उन सभी व्यक्तियों के अनुबंध के समय व्यक्तिगत हलफनामा/सहमति उपस्थित होकर देनी होगी।
3. प्राक्कलन की धनराशि जनसुविधा केन्द्र पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाने एवं मैसेज के बाद ऑनलाइन जमा कर रसीद इस खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करनी पड़ेगी।
4. उपभोक्ता/आवेदक द्वारा प्राक्कलन जमा करने के बाद सहायक निदेयाक विद्युत सुरक्षा बदायूँ से सम्पर्क कर चालान जमा कर एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्रति इस खण्ड कार्यालय को प्रेषित करें।
5. प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के पश्चात मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से GTP अनुमोदन एवं सामग्री निरीक्षण के पश्चात ही अधिकृत वेंडर से सामग्री क्रय की जा सकेगी।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, उझानी

पत्रांक:– /वि0वि0ख0चतुर्थ उझानी बदायूँ/ दिनांक..........................

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, उझानी

Scanned with CamScanner